फा.सं. 19039/4/2008-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना – साइकिल (रखरखाव) भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप और इस विभाग के 31 अगस्त, 1962 के कार्यालय ज्ञापन सं.एफ.11(18)-ई.IV(बी)/62 तथा उसमें बाद में किए गए सभी उपांतरणों और 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं.19039/3/2008-ई.IV का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति, सेवा नियम-25 के उपबंधों के अध्यधीन साइकिल (रखरखाव) भत्ते की दरों को 90/- रुपए प्रतिमाह से पुनरीक्षित करके 180/- रुपए प्रतिमाह करने का विनिश्चय करते हैं।

2. साइकिल (रखरखाव) भत्ते की स्वीकार्यता निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगीः-

(क) संबंधित कर्मचारी के पास स्वयं की साइकिल हो और वह उसका उपयोग सरकारी यात्रा के लिए करता हो।

(ख) इन आदेशों के तहत साइकिल (रखरखाव) भत्ता प्राप्त करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी का यात्रा भत्ता (अर्थात् दैनिक और मील भत्ता) इस प्रकार विनियमित किया जाएगाः-

(i)	ड्यूटी के सामान्य स्थान से 8 कि.मी. के दायरे में की गई यात्राओं के लिए	- कोई यात्रा भत्ता नहीं
(ii)	ड्यूटी के स्थान से 8 कि.मी. से अधिक किन्तु 16 कि.मी. तक के दायरे में यात्रा के लिए-	
	(क) यदि गंतव्य स्थल स्थानीय क्षेत्राधिकार में आता हो-	- कोई यात्रा भत्ता नहीं
	(ख) यदि गंतव्य स्थल स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर पड़ता हो-	- सामान्य नियमों के तहत स्वीकार्य यात्रा भत्ता, बशर्ते कि यात्रा साइकिल के बजाय किसी अन्य साधन से की गई हो
(iii)	ड्यूटी के सामान्य स्थान से 16 कि.मी. के दायरे से बाहर यात्रा के लिए	- सामान्य नियमों के तहत स्वीकार्य यात्रा भत्ता

(ग) पूरे कैलेंडर महीने (महीनों) की छुट्टी, प्रशिक्षण या अस्थायी स्थानांतरण पर यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(घ) एक बार में एक महीने से अधिक की किसी भी अवधि में, जिसके दौरान साइकिल (रखरखाव) भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी ने साइकिल न रखी हो या उसके द्वारा रखी गई साइकिल खराब रही हो या किसी अन्य कारण से सरकारी यात्रा के लिए उपयोग में न लाई गई हो, साइकिल (रखरखाव) भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

3. इन आदेशों के तहत साइकिल (रखरखाव) भत्ता, मंजूरी प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा एक बार में अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी अवधि की समाप्ति से पर्याप्त पहले इसे जारी रखे जाने की समीक्षा की जाएगी। मंजूरी प्रदान करने वाला प्राधिकारी इस भत्ते को मंजूर करते समय, जब कभी भी आवश्यक हो, इस प्रयोजनार्थ किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में स्थानीय क्षेत्राधिकार का विनिर्देश जारी कर सकता है। प्राधिकारी अपने नियंत्रणाधीन पदों की समीक्षा भी करें और उन पदों का विनिश्चय करें जिनके लिए साइकिल (रखरखाव) भत्ता मंजूर किया जाना चाहिए। इस भत्ते की मंजूरी पदों के संदर्भ में दी जाए न कि अलग-अलग पदधारियों के संदर्भ में।

4 **ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू हैं।**

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग - मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि:
नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।